प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:– 19.04.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति फेज-5.0 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत जनपद महोबा में व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित

मिशन शक्ति फेज-5.0 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत जनपद महोबा के समस्त थानों में व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित विशेष अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.04.2026 को जनपद महोबा में विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

उक्त कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में संपन्न कराए गए।

कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस टीमों द्वारा बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों एवं ग्राम/कस्बा क्षेत्रों में पहुंचकर महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया। इस दौरान उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना गया तथा उन्हें आश्वस्त किया गया कि किसी भी प्रकार की शिकायत, उत्पीड़न अथवा आपात स्थिति में पुलिस द्वारा त्वरित सहायता प्रदान की जाएगी।

पुलिस टीमों ने महिलाओं को घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, साइबर अपराध एवं अन्य महिला संबंधी अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। साथ ही महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, 112, 181 आदि एवं मिशन शक्ति केंद्रों की सेवाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मरक्षा के प्रति प्रेरित करते हुए यह संदेश दिया गया कि वे किसी भी प्रकार की समस्या के संबंध में निडर होकर पुलिस से संपर्क करें।

जनपद महोबा पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा उनके प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु निरंतर सक्रिय एवं प्रतिबद्ध है।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः– 19.04.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति फेज–5.0 (द्वितीय चरण) के तहत महिला सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता अभियान — महोबा पुलिस का संवेदनशील प्रयास-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में संचालित मिशन शक्ति फेज–5.0 (द्वितीय चरण) अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के उद्देश्य से विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएँ एवं संवाद सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में आज दिनांक 19.04.2026 को जनपद के समस्त थानों में नियुक्त मिशन शक्ति पुलिस टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत स्कूलों/कॉलेजों एवं सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर छात्राओं, छात्रों एवं महिलाओं को आत्मरक्षा, उनके अधिकारों तथा साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रमों के दौरान छात्राओं को 'गुड टच' व 'बैड टच' की पहचान, आत्मरक्षा के सरल उपाय तथा महिला सम्बन्धी अपराधों से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि) के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग के लिए प्रेरित किया गया।

साइबर अवेयरनेस कैम्पेन — डिजिटल युग में सुरक्षा की ओर कदम-

मिशन शक्ति कार्यक्रम के साथ-साथ महोबा पुलिस द्वारा "साइबर अवेयरनेस कैम्पेन" भी संचालित किया जा रहा है। इसके तहत लोगों को साइबर अपराधों के प्रकार, उनसे बचाव के उपाय, साइबर फ्रॉड की पहचान, फेक लिंक/ओटीपी धोखाधड़ी से सतर्क रहने की जानकारी दी गई।

इस दौरान छात्र/छात्राओं को साइबर अपराध की शिकायत हेतु राष्ट्रीय हेल्पलाइन नम्बर 1930 एवं पोर्टल www.cybercrime.gov.in के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर—

- 1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1090 – वीमेन पावर लाइन 181 – महिला हेल्पलाइन 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा 102 – गर्भवती महिलाओं/नवजात शिशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा 108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन 101 – अग्निशमन सेवा 1930 – साइबर हेल्पलाइन

अभियान का उद्देश्य-

मिशन शक्ति फेज–5.0 (द्वितीय चरण) एवं साइबर अवेयरनेस कैम्पेन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार करना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना तथा समाज में महिला सम्मान की भावना को और अधिक सशक्त बनाना है।

महोबा पुलिस

थाना खन्ना पुलिस टीम ने एक वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे वांछित/वारण्टी गिरफ्तारी अभियान के तहत थाना खन्ना पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

आज दिनांक 19.04.2026 को प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा उ0नि0 लक्ष्मीनारायण सिंह मय हमराह हे0का0 हरदेव सिंह परिहार ने मु0सं0 2279/2025, अ0सं0 152/2017 धारा 458/380/511 भादवि से संबंधित वारण्टी अभियुक्त धनीराम पुत्र अमरलाल, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम पचपहरा थाना खन्ना जनपद महोबा को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय महोबा द्वारा जारी गिरफ्तारी अधिपत्र के अनुपालन में उसके निवास स्थान से विधिवत गिरफ्तार किया।

गिरफ्तारी के उपरांत आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

धनीराम पुत्र अमरलाल, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम पचपहरा थाना खन्ना जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1.उ0नि0 लक्ष्मीनारायण सिंह, थाना खन्ना जनपद महोबा
2.हे0का0 हरदेव सिंह परिहार, थाना खन्ना जनपद महोबा

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:– 19.04.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना पनवाड़ी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

प्रभारी निरीक्षक बीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा उ0नि0 कमल सिंह व का0 इन्द्रपाल चौहान क्षेत्र में विवेचना, लंबित प्रकरणों के निस्तारण एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान दिनांक 19.04.2026 को सेंगरपुरा मंदिर जाने वाली सड़क, कस्बा पनवाड़ी क्षेत्र से अभियुक्त ललित कुमार पुत्र चन्द्रभान अहिरवार निवासी नौगांव फदना रोड, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया।

तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर एवं एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर नाजायज बरामद हुआ। इस संबंध में थाना पनवाड़ी पर मु0अ0सं0 48/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बरामदगी:

एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त:

ललित कुमार पुत्र चन्द्रभान अहिरवार निवासी नौगांव फदना रोड, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 कमल सिंह, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा
2. का0 इन्द्रपाल चौहान, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

@MahobaPolice

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 19.04.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

रिजर्व पुलिस लाइन में आर्म/एम्युनिशन की साफ-सफाई कराई गई, सुरक्षा मानकों का किया गया पालन।

आज दिनांक 19.04.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा के आदेशानुसार एवं क्षेत्राधिकारी लाइन्स महोदय के पर्यवेक्षण में रिजर्व पुलिस लाइन में स्थित क्वार्टर गार्ड में रखे गए शस्त्र एवं गोला-बारूद (आर्म/एम्युनिशन) की सघन साफ-सफाई एवं रख-रखाव का कार्य कराया गया।

इस दौरान संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा सभी शस्त्रों की विधिवत जांच करते हुए उनकी साफ-सफाई की गई तथा गोला-बारूद को नियमानुसार व्यवस्थित किया गया। शस्त्रों की कार्यक्षमता एवं सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती गई तथा रख-रखाव से संबंधित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया गया।

कार्यवाही के दौरान अधिकारियों द्वारा उपस्थित पुलिस कर्मियों को शस्त्रों के सुरक्षित उपयोग, रख-रखाव एवं समय-समय पर उनकी जांच करने के संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए गए, जिससे किसी भी आपात स्थिति में शस्त्रों का प्रभावी एवं सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

उक्त कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य शस्त्रों की कार्यक्षमता बनाए रखना, सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना तथा पुलिस बल को सदैव तत्पर एवं सक्षम बनाए रखना है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 19.04.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के पर्यवेक्षण में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पनवाड़ी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

प्रभारी निरीक्षक बीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में गठित पुलिस टीम द्वारा उ0नि0 सनय कुमार व हे0का0 विजय सिंह ने कार्यवाही करते हुए एक वारण्टी अभियुक्त आजाद पुत्र प्रहलाद राजूपत निवासी ग्राम सलैया खालसा, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा, उम्र करीब 28 वर्ष को संबंधित मु0नं0 477/2021, अ0सं0 47/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत माननीय न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0) महोबा द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के अनुपालन में गिरफ्तार किया।

गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1.उ0नि0 सनय कुमार, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा
2.हे0का0 विजय सिंह, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त:

आजाद पुत्र प्रहलाद राजूपत निवासी ग्राम सलैया खालसा, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा, उम्र 28 वर्ष

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 19.04.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

नाबलिग के साथ अश्लील हरकत करने वाले वांछित अभियुक्त को थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम तथा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कुलपहाड़ पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 17.04.2026 को थाना कुलपहाड़ पर वादी अखिलेश पुत्र मोतीलाल निवासी ग्राम कमालपुरा द्वारा सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री (उम्र करीब 13 वर्ष) के साथ ग्राम के ही भूरा पुत्र ननुबा द्वारा बुरी नीयत से छेड़छाड़ की गई। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 72/2026 धारा 74 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 अनिल कुमार यादव द्वारा की जा रही थी।

उक्त प्रकरण में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा सक्रिय प्रयास करते हुए दिनांक 19.04.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त भूरा काछी पुत्र ननुवा काछी, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी ग्राम कमालपुरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त:

भूरा काछी पुत्र ननुवा काछी, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम कमालपुरा थाना कुलपहाड़ महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1.उ0नि0 अनिल कुमार यादव
2.का0 गजेन्द्र वर्मा